MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 25006 दिनांक 22 नवम्बर 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाडा जिले में निरन्तर नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित पाये जाने से कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियो से मेरा समाधान हो गया है एवं मै संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति मे जिले के नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत **सख्त निषेधाज्ञा जारी की जावे।**

अतः इस संबध मे **शासन सचिव गृह (ग्रुप–9)** विभाग, **राजस्थान–जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 33(2)गृह–9/2019 दिनांक 21 नवम्बर 2020 के क्रम मे** जिले के नागरिको एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से **मैं शिवप्रसाद एम. नकाते, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत **रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा मे सख्त निषेधाज्ञा (CURFEW) घोषित कर** निम्नानुसार निर्देश देता हूँ :–

- **समारोह आयोजन (Gatherings) :–**

A. **यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक/जन कार्यक्रम के आयोजन के संबध मे कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा को आवेदन किया जाता है तो जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वंय का समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये निम्न शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान कर सकेगें।**
आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेगें कि :–

1. **आयोजन मे भाग लेने वाले व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नही होगी।**
2. **सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।**
3. **फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। " नो–मास्क नो–एन्ट्री" की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।**
4. **स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास बिन्दुओ पर एवम् कॉमन एरिया मे थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे।**
5. **कुर्सिया, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क मे आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार–बार सफाई की जायेगी।**

- **रात्रि कर्फ्यू :–**

B. **जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा मे रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बन्द रहेगें। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सांय 7:00 बजे बंद कर दिये जायें ताकि संबधित स्टॉफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8:00 बजे तक अपने घर पहुंच जाये, जब तक की इस हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाडा से इस सबंध में अनुमति प्राप्त नही कर ली गई हों।**

—2

- उक्त प्रतिबंध निम्नाकिंत पर लागू नही होगी :–

1. वे फैक्ट्रिया जिनमे निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
2. वे फैक्ट्रिया जिनमे रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।

शर्ते :–

इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जावेगा कि रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक की अवधि मे कोई भी श्रमिक सड़क पर नही आयेगा।

3. आई.टी. कम्पनियां।
4. कैमिस्ट शॉप।
5. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बधित कार्यालय।
6. विवाह सम्बधी समारोह।
7. चिकित्सा सेवाओं से सम्बधित कार्यस्थल।
8. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।

इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नही होगी।

C. कार्य स्थल पर उपस्थिति :–

- शहर की नगरीय सीमा मे स्थित सभी कार्यस्थलो पर (राजकीय, स्वायत शासी, निजी कार्यालय इत्यादि) जहां कार्मिको की संख्या 100 से अधिक है, 75 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय मे उपस्थित रहेगें एवं 25 प्रतिशत कार्मिक **Work From Home** करेगें।
- यह प्रतिबंध जिला प्रशासन/जिला कलक्टर कार्यालय, पुलिस, नगर निकाय अस्पताल एवं चिकित्सा संबधी संस्थापन एवं अन्य आवश्यक एवं आपातकालिन सेवाओं पर भी लागू नही होगा।

मैं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मे मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश **आज दिनांक 22 नवम्बर, 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक भीलवाड़ा जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र में** प्रभावी रहेगा।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – सूचनार्थ :–

01. निजि सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर
02. निजि सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. संभागीय आयुक्त, अजमेर
04. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
05. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान

प्रतिलिपिः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

06. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
07. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
09. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
10. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
11. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
12. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
13. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
14. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
15. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु।
16. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
17. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा–जिला पुलिस अधीक्षक,भीलवाड़ा)
18. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा